भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4210
सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943 (शक)

रोजगार सृजन एवं वित्तीय अवसर

†**4210**. **श्री वाई.देवेन्द्रप्पाः**
श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार सृजन तथा वित्तीय अवसरों में वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट ढांचा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ख) नौकरी के अवसरों के सृजन तथा वित्तीय अवसरों के सृजन हेतु किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है और इस ढांचे को कार्यान्वित करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) वर्ष 2014 से फरवरी 2021 तक सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र में सृजित नौकरियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है तथा वर्ष 2014 से फरवरी 2021 तक निजी क्षेत्र में वर्ष-वार कितनी संख्या में नौकरियों का सृजन किया गया;

(घ) वर्ष 2014 से फरवरी 2021 तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र में वर्ष-वार कितने लोगों की नौकरी से छंटनी की गई;

(ड.) मार्च 2020 से मार्च 2021 तक सरकारी एवं निजी क्षेत्र में क्षेत्र-वार कितने लोगों की नौकरी से छंटनी की गई;

(च) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश में नौकरी के अवसरों के सृजन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों में नौकरी के कितने अवसरों का सृजन किया गया है; और

(छ) क्या सरकार ने और अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (छ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है।सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेकों पहलें की हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। 9 मार्च, 2021 को लाभ लेने हेतु 16.49 लाख कर्मचारी पंजीकृत हुए थे।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत, भारत सरकार, 01.04.2018 से ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थी के पंजीकरण की समापन तिथि 31 मार्च, 2019 थी। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लगातार लाभ प्राप्त होगा। 3 मार्च, 2021 को, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जो कि क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18, 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात क्रमशः 46.8% एवं 47.3% है।

केंद्रीय क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में निकाले गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैः

वर्ष	निकाले गए कामगारों की संख्या	क्षेत्र
2014	शून्य	शून्य
2015	शून्य	शून्य
2016	शून्य	शून्य
2017	179	खान
2018	27	खान
2019	शून्य	शून्य
2020	शून्य	शून्य
2021(फरवरी तक)	466	वस्त्र

*****